

Continuation Note Sheet

12-8-24

वकील वादी किं वादी किराणी-वस्तु वकील  
वादी किं वादी को कर कर आवासे लक्षण  
कर। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी को की लक्षण  
है, मूल लक्षण मूल नहीं किन्तु मूल ही  
प्राप्त की 0-4-25-26 के तहत खाली की  
जारी है प्राप्त की लक्षण नए नए ही कर ही  
कर लक्षण लक्षण किराणी-वस्तु लक्षण  
है। ७

विभागीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय लखनऊ  
विभागीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय लखनऊ ८९५०१६  
दिनांक २९/०८/२४